

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 12, शुक्रवार, शाके 1939-जून 2, 2017 Jyaistha 12, Friday, Saka 1939-June 2, 2017	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

विधि (ग्रुप-2) विभाग
अधिसूचना

जयपुर, जून 02, 2017

जी.एस.आर. 32 - विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 एवं 7 के अधीन अनुसूची-‘क’ का प्रतिस्थापन. - राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2013 के अधीन अनुसूची-‘क’ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ अनुसूची-क

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(नियम 6 और 7 देखिए)

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	सदस्य सचिव	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कैडर के सुपर टाइम स्केल के अधिकारी को अनुज्ञेय है।	1	राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश संवर्ग के सुपर टाइम स्केल से स्थानान्तरण द्वारा

राजस्थान राज-पत्र जून 2, 2017

भाग 4(ग)

1	2	3	4	5
2.	संयुक्त सचिव	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कैडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है।	1	राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला न्यायाधीश संवर्ग के सुपर टाइम स्केल से स्थानान्तरण द्वारा
3.	उप सचिव	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कैडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है।	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें।	राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
4.	उप सचिव प्रशासन (गैर-न्यायिक)	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
5.	निजी सचिव	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
6.	अतिरिक्त निजी सचिव	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
7.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा
8.	प्रोग्रामर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार के स्थानान्तरण द्वारा

भाग 4(ग)

राजस्थान राज-पत्र जून 2, 2017

1	2	3	4	5
9.	निजी सहायक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
10.	प्रशासनिक अधिकारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
11.	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
13.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
14.	कनिष्ठ लेखाकार	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा
15.	आशुलिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-

1	2	3	4	5
16.	लिपिक ग्रेड-प्रथम	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
17.	लिपिक ग्रेड-द्वितीय	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
18.	वाहन चालक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
19.	मशीन मैन	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
20.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-
21.	स्वीपर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	-

[संख्या एफ.8 (2) विधि/2/2017]

आज्ञा से

मनोज कुमार व्यास,

प्रमुख शासन सचिव,

विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

